ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 353-354

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

भारतीय सामाजिक – राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण

रामनरेश यादव

एसोसिस्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस0 एम0 एम0 टाउन पी0 जी0 कॉलेज, बलिया (उ0प्र0), भारत

Received- 23.07.2020, Revised- 26.07.2020, Accepted - 28.07.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***स्वतन्त्र भारत की सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था उन्नत पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रही है। यह उन्नत पर्यावरण की व्यवस्था को संवैधानिक, विधिक एवं न्यायिक आधार प्रदान करती है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति–निदेशक तत्त्वों से सम्बन्धित है। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान के केवल अनु० 47 में ही पर्यावरण से सम्बन्धित व्यवस्था थी। इसके अनुसार 'राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर (Leve of Nutrition) और जीवन–स्तर को ऊँचा करने तथा लोक–स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशेषतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा'। 1976 ई० में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए अनु० 48–क जोड़ा गया। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि, 'राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों (wild life) की रक्षा करने का प्रयास करेगा'।***

कुंजीभूत शब्द– स्वतन्त्र भारत, सामाजिक,राजनीतिक व्यवस्था, उन्नत, पर्यावरण, ,संवेदनशील, संविधान ।

संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा ही नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का भी विधान किया गया जिसमें अन० 51–क (छ) पर्यावरण से सम्बन्धित है। इसके अनुसार, 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया–भाव रखे'।

भारतीय न्यायपालिका उन्नत पर्यावरण के विषय में अत्यधिक संवेदनशील है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन–सुरक्षा के लिए निर्देश देना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने 'एम० सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' के बाद में अनु० 51–क (छ) के अधीन निम्नलिखित निर्देश जारी किये–

(1) केन्द्र सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षण–संस्थाओं में सप्ताह में कम से कम एक घंटे पर्यावरण–संरक्षण की शिक्षा देने का निदेश दे।

(2) ऐसा निदेश कक्षा एक से दस तक की कक्षाओं को दिया जाय।

(3) निदेश पर्यावरण की रक्षा तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संवर्धन से सम्बन्धित होना चाहिए।

(4) केन्द्र सरकार को पर्यावरण से सम्बन्धित पुस्तकों को शिक्षण–संस्थाओं में निःशुल्क वितरित करना चाहिए।

(5) चूँकि स्वच्छ वातावरण से शरीर एवं मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, अतः बच्चों को घर और बाहर तथा उन गलियों में, जहां वे रहते हैं, स्वच्छ रखने के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए।

(6) पर्यावरण–विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पर्यावरण–विषय पढ़ाने के विषय में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(7) उपर्युक्त कार्य सम्पूर्ण देश में किये जाने चाहिए।

भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मूल अधिकार नहीं प्रदान करता है। यद्यपि ये मूल अधिकार पर्यावरण के विषय में प्रत्यक्षतः प्राविधान नहीं करते, तथापि परोक्ष रूप से कुछ मूल अधिकारों में पर्यावरण को भी समाहित किया गया है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अनु० 14, 21, 19–1 (क) तथा 19–1 (छ) के अन्तर्गत दायर किये गये अनेक वादों को पर्यावरण के पक्ष में निर्णीत किया है। उल्लेखनीय है कि संविधान का अनु० 14 व्यवस्था करता है कि 'भारत के राज्य–क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि ा के समक्ष समता से या विधियों के समान सरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा'। पुनः संविधान का अनु० 21 भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के संरक्षण के व्यापक अधिकार की गारण्टी देता है। इसके अनुसार, 'किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं'। इसी प्रकार संविधान का अनु० 19–1 (क) 'सभी नागरिकों को वाक् स्वातन्त्रय एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का', तथा अनु० 19–1 (छ)' कोई भी वृत्ति,

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है'।

सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर यह मत व्यक्त किया है कि कोई भी व्यक्ति अन० 14 का सहारा लेकर ऐसा कार्य कदापि नहीं कर सकता जो पर्यावरण एवं जन–हित के लिए हानिकारक हो। जैसे, सर्वोच्च न्यायालय ने 'बंगलौर मेडिकल ट्रस्ट बनाम बी. एस. मुडप्प' वाद में और 'सुशीला सां मिल्स बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा' वाद में स्वस्थ एवं उन्नत पर्यावरण के पक्ष में निर्णय दिया एवं उन कार्यवाहियों को अनु० 14 एवं अनु०19–1 (छ) का उल्लंघन नहीं माना। पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि संविधान के अनु० 21, 48–क और 51 (च) के अधीन प्रत्याभूत 'जीने की स्वतन्त्रता' का अधिकार एवं प्रदूषण–रहित जल एवं वायु प्राप्त करने का अधिकार मानवाधिकार के अन्तर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य' के बाद में निर्णीय किया है कि अनु० 21 की परिधि में प्रदूषण से मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार भी शामिल है।

राज्यों के उच्च न्यायालय भी उन्नत पर्यावरण के पक्ष में कम संवेदनशील नहीं रहे हैं। आन्ध्र–प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'टी० दामोदर राव बनाम एस. ओ. म्युनिसिपल कार्पोरेशन, हैदराबाद' वाद में केरल उच्च न्यायालय ने 'एफ० के० हुसेन बनाम भारत संघ' के वाद में निर्णय दिया कि शुद्ध जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार 'जीने के अधिकार' का आवश्यक तत्त्व है। पुनः, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 'बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एशोसियेशन बनाम कमिशन ऑफ पुलिस एवं अन्य' के वाद में मत व्यक्त किया कि भारतीय संविधान के अनु० 19 को अनु० 21 के साथ पढ़ने पर नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण, शान्तिपूर्वक रहने, रात में सोने, इत्मीनान से रहने का अधिकार, जो अनु० 21 द्वारा प्रत्याभूत जीने के अधिकार के आवश्यक तत्त्व हैं, प्राप्त हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक वादों में न्यायालयों ने स्वच्छ पर्यावरण के उपभोग के अधिकार को व्यक्ति के जीने के अधिकार में सम्मिलित किया है। पुनः अनेक गैर–सरकारी संगठनों (N.G.Os) एवं व्यक्तियों ने अनु० 19–1 (क) द्वारा प्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत पर्यावरण–संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान किया है!

संविधान का अनु० 19–1 (छ) सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। किन्तु यह अधिकार पूर्व (Absolute) नहीं है। राज्य संविधान के 19–6 (क) के अन्तर्गत उस कारोबार या व्यापार पर रोक लगा सकता है जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचती है। उच्चतम न्यायालय ने इसी आधार पर 'रूरल लिटिगेशन एण्ड इंटाइटिलमेन्ट केन्द्र देहरादून बनाम उ० प्र० राज्य' के वाद में एवं 'एम० सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया' के वाद में ऐसे कारोबार को रोकने का आदेश दिया जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 'बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसियेशन बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता एवं अन्य' के वाद में निर्णय दिया कि संविधान के अनु० 19–1 (छ) ऐसे व्यापार एवं वाणिज्य के मूल अधिकार की गारण्टी नहीं देता जिससे प्रदूषण होता हो या समुदाय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शान्ति छिनती है।

उल्लेखनीय है कि विकास एवं पर्यावरण परस्पर विरोधी हैं। जहाँ एक ओर राज्य के विकास के लिए बाँधों का निर्माण, तापीय विद्युत परियोजनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यक है वहीं दूसरी ओर उस स्थान के लोगों का, जहाँ ये परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, मूल अधिकार बाधित होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में दोनो स्थितियों में सामंजस्य अपेक्षित है। भारतीय न्यायालयों ने समय–समय पर दोनो में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक वादों को निर्णीत करते हुए जहाँ एक ओर कर्मकारों के अधिकारों के अधिकरों को संरक्षित किया है वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में सन्तुलन बनाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने 'वनवासी सेवा आश्रम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश' के वाद में तथा 'प्रदीप कृष्ण बनाम भारत संघ' के वाद में ऐसे ही अन्य वादों में उपरोक्त दृष्टिकोण अख्तियार किया है।

पुनः भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने समय–समय पर पर्यावरण–संरक्षण सम्बन्धी अनेक विधियों का निर्माण करके विकास के साथ पर्यावरण–संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रमा माथुर : पर्यावरण अध्ययन : बहु आयामी प्रकृति, संजय प्रकाशन, दिल्ली,, 2006.
2. योगेश कुमार शर्मा पर्यावरण, मानव संसाधन और विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान) 2004.
3. ज्ञान पी. कोलर्स : फिजीकल ज्योग्राफी एण्ड ज्ञान डी. निश्चुएन इनवायरनमेंट एण्ड मैन, मैग्राहिल, न्यूयार्क ।
4. डॉ० गोपाल कृष्ण अग्रवाल : समाजशास्त्र, एस. वी.पी.डी. पब्लिकेशन्स, आगरा, मथुरा बाईपास रोड, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा ।

*****